मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 9 /03/2020

क्र एफ 16-30/2019/ए-ग्यारह: मेसर्स टेक्समो पाईप एंड प्रोडक्ट्स लि. (यूनिट-2) द्वारा उद्योग निवेश सवंर्धन सहायता योजना 2004 अंतर्गत उत्पादन पश्चात 3 वर्ष की अवधि में किये गये अतिरिक्त निवेश के आधार पर पात्रता निर्धारण आवेदन पर राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक 01/10/2018 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय अनुसार कंपनी का आवेदन अमान्य किये जाने के संबंध में MPIDC (पूर्व नाम मध्यप्रदेश ट्रायफेक) द्वारा दिनांक 10/05/2019 को सूचित किया। जिसके विरूद्ध इकाई/कंपनी द्वारा पुन: अपील/संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संबंध में मुख्य तथ्य निम्नानुसार है:-

1. मेसर्स टेक्समो पाईप एंड प्रोडक्ट्स लि. (यूनिट-2) बहादुरपुर रोड जिला बुरहानपुर द्वारा एचडीपी पाईप एवं अन्य प्रकार के पाईप में विस्तार अंतर्गत दिनांक 12.09.2008 को उत्पादन प्रारंभ किया गया। इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में कुल रू. 359.07 लाख का निवेश किया गया था तथा उत्पादन दिनांक के पश्चात 03 वर्षो की अवधि में स्थिर अस्तियों में रू. 2360.72 लाख का निवेश किया गया था। इस प्रकार इकाई में कुल स्थाई पूंजी निवेश रू. 2719.79 लाख किया गया। इकाई द्वारा प्रस्तुत क्लेम राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति के समक्ष बैठक दिनांक 17.09.2013 में विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा वर्ष 2011-12 का प्रथम क्लेम मान्य करते हुये उत्पादन दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश रू. 359.07 लाख तथा उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में किया गया स्थिर पूंजी निवेश 2360.72 लाख इस तरह कुल पूंजी निवेश 2719.75 लाख मान्य किया गया ।

3/ कंपनी द्वारा 2012-13 के प्रस्तुत क्लेम प्रकरण में एम.पी.ट्रायफेक के संचालक मंडल द्वारा 50% की दर से सुविधा स्वीकृत की गई।

2/ कंपनी द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 11.07.2018 द्वारा स्पष्ट किया कि उत्पादन दिनांक तक रू. 359.07 लाख का निवेश किया गया था किन्तु उत्पादन दिनांक पश्चात 3 वर्षो की अवधि में रू. 2360.72 लाख का अतिरिक्त निवेश किया गया है अतः इस आधार पर उसे जिस दिनांक से पूंजी निवेश रू. 10.00 करोड़ से ऊपर हो गया है उस दिनांक से 75% की दर से 10 वर्षो हेतु उद्योग निवेश संवर्धन सहायता का लाभ प्रदान किया जाये। कंपनी का अभ्यावेदन राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक 01.10.2018 में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा नीति में उत्पादन दिनांक के प्रमाणित निवेश के महत्व को माना है उसी आधार पर सहायता का आधार (प्रतिशत एवं अवधि (वर्ष) निर्धारण का उल्लेख है) अत: उत्पादन दिनांक तक इकाई के स्थिर अस्तियों में किये गये पूंजी निवेश 3.59 करोड के आधार पर इकाई को 50% की दर से 5 वर्षो हेतु उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता का निर्धारण करते हुए अतिरिक्त पूंजी निवेश के आधार पर बढ़ी हुई सुविधा की अवधि एवं दर की पात्रता नहीं आने के दृष्टिगत कंपनी के अभ्यावेदन को अमान्य करने का निर्णय लिया गया ।

2.2 9/3/20

3/ राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय दिनांक 01.10.2018 के विरूद्ध कंपनी की अपील आवेदन में कंपनी द्वारा निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :-

5.1 राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। 5 वर्ष की अवधि एवं 50% की दर से उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्थिर कर दी है जबकि कंपनी द्वारा 3 वर्ष में 23.61 करोड का पूंजी निवेश किया गया है अतः इस आधार पर उसे जिस

दिनांक से पूंजी निवेश रू. 10.00 करोड़ से ऊपर हो गया है उस दिनांक से 75% की दर से 10 वर्षो हेतु उद्योग निवेश संवर्धन सहायता का लाभ प्रदान किया जाये ।

5.2 कंपनी द्वारा प्रबंध संचालक एमपी ट्रायफेक भोपाल से 28.1.2014 को अनुबंध निष्पादित किया गया है। जिसमें मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2004 अंतर्गत टैक्समो पाइप यूनिट 2 बुरहानपुर को सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन की ओर से आवश्यक कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया है। परंतु एमपी ट्रायफेक द्वारा मूल पूंजी के आधार पर जमा कर की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्रदान की गई है । वर्ष 2013-14 में इकाई को सहायता प्रदान नहीं की गई है। बुरहानपुर जिला 'स' श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत है अत: अनुबंध अनुसार कंपनी को 10 वर्ष में जमा किये गये वेट/सीएसटी का 75% वापस किया जाना अपेक्षित था।

कम्पनी द्वारा राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा पारित निर्णय 10.1.2018 पूर्णत: अनुचित बतलाते हुये उस निर्णय को अमान्य कर निवेश प्रोत्साहन योजना 2004 अनुसार अभ्यावेदन पर पुनर्विचार किया जाकर विधि अनुकूल एवं न्यायिक उपचार एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

4/ कंपनी/इकाई के अभ्यावदेन पर समिति द्वारा निम्नानुसार तथ्यों पर विचार का निर्णय लिया गया:-

मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2004 अंतर्गत कंडिका क्रमांक 3.7(अ) से स्पष्ट है कि इकाई की पात्रता वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक को किये गये निवेश के आधार पर निर्धारित की जाएगी। योजना की कंडिका 3.9.4 अनुसार स्थाई पूंजी की गणना हेतु रू. 1 करोड या उससे अधिक की परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष तक किये गये व्यय को सम्मिलित किये जावेगा । योजना के शीर्षक मे स्पष्ट किया गया है कि जिन इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक को स्थाई पूंजी निवेश रू. 1 करोड या उससे अधिक होगा वहीं इकाईयां सुविधा हेतु पात्र होगीं। स्पष्ट है कि रू.1 करोड से कम पूंजी निवेश वाली इकाईयां सुविधा हेतु पात्र नहीं होगी, चाहे इकाई द्वारा 3 वर्ष में रू. 1 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश कर लिया गया हो। योजना की कंडिका क्र. 3.9.4 अनुसार 3 वर्षो की अवधि में किये गये निवेश के आधार पर केवल कुल सहायता राशि की सीमा में वृद्धि होगी, परंतु इकाई की सुविधा की दर एवं अवधि उत्पाद दिनांक में किये गये स्थाई पूंजी निवेश अनुसार ही रहेगी। उक्त आधार पर सहायता का आधार (प्रतिशत) एवं अवधि, (वर्ष) निर्धारण का उल्लेख है। उत्पादन दिनांक तक इकाई के स्थिर अस्तियों में किये गये पूंजी निवेश रू. 3.59 करोड़ के आधार पर इकाई को 50 प्रतिशत की दर 5 वर्षो हेतु उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता होगी । उत्पादन दिनांक को इकाई का पूंजी निवेश रू. 10 करोड़ से कम होने के कारण उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 के प्रावधान अनुसार अतिरिक्त पूंजी निवेश के आधार पर इकाई को बढ़ी हुइ सुविधा की अवधि एवं दर की पात्रता नहीं आवेगी। उत्पादन दिनांक के पश्चात 3 वर्ष की अवधि में किये गये निवेश के आधार पर केवल कुल सहायता राशि की सीमा में वृद्धि होगी, किंतु इकाई की सुविधा की दर एवं अवधि उत्पादन दिानांक को किये गये स्थाई पूंजी निवेश अनुसार ही रहेगी। कंपनी की परियोजना को उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक को किये गये पूंजी निवेश के आधार पर पात्रता निर्धारित की गई है एवं 3 वर्ष में किये गये पूंजी निवेश को सम्मिलित करते हुए उक्त सीमा तक सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है अर्थात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक 12.9.2008 से 11.9.2013 (5 वर्ष) तक इनपुट टैक्स रिबेट के समायोजन के पश्चात जमा किये गये वेट/सीएसटी का 50 प्रतिशत स्थाई पूंजी निवेश की सीमा रू.

9/3/20

2719.79 लाख तक (दोनों में से जो भी कम हो) सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने की पात्रता मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत निर्धारित की गई है। अत: इकाई के अभ्यावेदन को अमान्य किया जाता है।

2/ यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के निर्णय के आईटम क्रमांक 05. दिनांक 06/02/2020 के संदर्भ में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा) 9/3/20
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-30/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 9/03/2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
4. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स टेक्समो पाईप एंड प्रोडक्ट्स लि. (यूनिट-2), 98, Bahadarpur Road, Burhanpur, Distt. Burhanpur, M.P. - 450331.

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रमुख सचिव 9/3/20
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग